(1)

(61)

परिशिष्ट-04

मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मंत्रालय

कं/एफ 3-2/06/50-2,
भोपाल, दिनांक 10/7/2007

प्रति,

1. आयुक्त/संचालक, महिला एवं बाल विकास भोपाल ।
2. समस्त संभागायुक्त, म.प्र. ।
3. समस्त जिलाध्यक्ष ,म.प्र.
4. समस्त जिला कार्यकम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ,म.प्र.
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, म.प्र.
6. समस्त परियोजना अधिकारी , एकीकृत बाल विकास परियोजना ,म.प्र.
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, म.प्र.
8. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत , म.प्र.

विषय :-आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के चयन एवं नियुक्ति के संशोधित निर्देश ।

आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन एवं नियुक्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के ज्ञापन कं एफ 3-2/06/50-2, भोपाल दिनांक 27.5.2006 द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किये गये है , उक्त निर्देशों को एतद् द्वारा निरस्त करते हुए आंगनवाडी कार्यकर्ता/ सहायिकाओं की नियुक्ति के संबंध में आगामी आदेश तक निम्न आदेश प्रसारित किये जाते है ।

(अ) आंगनवाडी कार्यकर्ता (मानसेवी)

प्रत्येक आंगनवाडी केन्द्र पर एक मानसेवी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाती है। कार्यकर्ता द्वारा समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जाती है।

अ-1 : आंगनवाडी कार्यकर्ता की नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हताऐं

आंगनवाडी कार्यकर्ता हेतु चयनित की जाने वाली महिला की निम्नानुसार अनिवार्य अहर्ताएं होनी चाहिये:-

(1) आवेदिका की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष होना चाहिये।

- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिये जिस केलेण्डर वर्ष में चयन किया जाना हो,उस केलेण्डर वर्ष में 1 जनवरी को आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(2) आवेदिका संबंधित ग्राम/नगरीय क्षेत्र के वार्ड की स्थायी निवासी होना चाहिये ।

ग्राम/नगरीय क्षेत्र के वार्ड में स्थायी निवासी के प्रमाण के लिये राशन कार्ड/संबंधित ग्राम/नगरीय क्षेत्र के वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची/ अद्यतन बीपीएल सूची में महिला का नाम दर्ज होना चाहिए अथवा अविवाहित महिला होने पर उसके पिता का नाम तथा विवाहित महिला होने उसके पति का नाम दर्ज होना चाहिए । उक्त दोनों भी उपलब्ध नहीं होने पर एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा जारी स्थानीय निवास के प्रमाण पत्र को मान्य किया जा सकता है ।

..1.. O/C

(3) शैक्षणिक योग्यता – (2)

नगरीय एवं सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अभ्यर्थी अनिवार्यतः हायर सेकेण्डरी (10+2 की 12 बोर्ड अथवा 11वीं बोर्ड)उत्तीर्ण होना चाहिये ।

आदिवासी क्षेत्र में महिला अभ्यर्थी अनिवार्यतः न्यूनतम आठवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये ।

(4) चयनित की जाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ना तो स्वयं सरकारी कर्मचारी /अधिकारी अथवा पंचायती राज संस्थाओं /नगरीय निकायों के निर्वाचित अथवा मनोनीत सदस्य होना चाहिये और ना ही चयन प्रकिया से प्रत्यक्ष संबंध रखने वालो की सगे सबंधी होना चाहिये ।

सगे संबधियों से अभिपाय,माता पिता भाई,बहन ,पति,पत्नि, पुत्र–पुत्री एवं पुत्र–वधु ।

अ. 2. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नियुक्ति के मापदण्ड (योग्यता सूची)

चयन समिति द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रवार योग्यता सूची (मैरिट लिस्ट) तैयार की जावेगी । मैरिट सूची तैयार करने हेतु अधिकतम 100 अंक निम्नानुसार दिये जायेंगे –

अ –2 (अ) शहरी एवं सामान्य ग्रामीण क्षेत्र –

1. अनु0जाति/अनु0जनजाति की महिला के लिए 5 अंक,
2. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की महिला के लिए 10 अंक,
3. विधवा/परित्यकता/तलाक शुदा / 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला के लिए 10 अंक
4. आंगनवाडी केन्द्रों की सहायिका / मिनी आंगनवाडी केन्द्रों की कार्यकर्ता/ शिशु शिक्षा केन्द्र की दीदियों /शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित बालवाडियों की शिक्षिका /पूर्व में शहरी क्षेत्र में संचालित पोषण आहार केन्द्रों पर कार्यरत पोषण आहार संगठिकाओं /पूर्व मे अन्य स्थान पर कार्यरत आंगनवाडी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष कार्य का अनुभव । (उक्त लाभ केवल उन्ही आवेदिकाओं को दिया जावेगा जिन्हें शिकायत के आधार पर हटाया न गया हो,) – 10 अंक,
5. हायर सेकेण्डरी में 40 प्रतिशत तक 20 अंक एवं 40 प्रतिशत से अधिक अंक पर प्रत्येक 2 प्रतिशत पर 1 अंक,
6. स्नातक होने पर 10 अंक,
7. स्नातकोत्तर होनें पर 5 अक

अ –2 (ब) आदिवासी क्षेत्र

1. अनु0जाति/अनु0जनजाति की महिला के लिए 5 अंक,
2. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की महिला के लिए 10 अंक,
3. विधवा/परित्यकता/तलाक शुदा / 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला के लिए 10 अक,

(3) (65)

4 आंगनवाडी केन्द्रों की सहायिका / मिनी आंगनवाडी केन्द्रों की कार्यकर्ता / शिशु शिक्षा केन्द्र की दीदियों / शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित बालवाडियों की शिक्षिका /पूर्व में शहरी क्षेत्र में संचालित पोषण आहार केन्द्रों पर कार्यरत पोषण आहार संगठिकाओं /पूर्व मे अन्य स्थान पर कार्यरत आंगनवाडी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष कार्य का अनुभव । (उक्त लाभ केवल उन्ही आवेदिकाओं को दिया जावेगा जिन्हें शिकायत के आधार पर हटाया न गया हो,) 10 अंक,

5. आठवी में 40 प्रतिशत तक 20 अंक एवं 40 प्रतिशत से अधिक अंक पर प्रत्येक 2 प्रतिशत पर 1 अंक,

6. हायरसेकेन्ड्री तक उत्तीर्ण होने पर 10 अंक

7. स्नातक होने पर 5 अंक,

विशेष – दो या दो से अधिक आवेदकों के समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु कि महिला को चयन में प्राथमिकता दी जावेगी ।

ब: आंगनवाडी सहायिका (मानसेवी)

प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर आंगनवाडी कार्यकर्ता की सहायता के लिये एक सहायिका की नियुक्ति का प्रावधान है । सहायिका आंगनवाडी केन्द्र में पोषण आहार तैयार एवं वितरण करने का कार्य , केन्द्र में बच्चों की साफ–सफाई ,पानी की व्यवस्था ,छोटे बच्चों को लाने ले जाने तथा अन्य गतिविधियों में कार्यकर्ता की सहायता करती है।

ब–1 आंगनवाडी सहायिका की निरुक्ति हेतु अर्हताय :–

आंगनवाडी सहायिका हेतु चयनित की जाने वाली महिला की निम्नानुसार अनिवार्य शर्तें होनी चाहिये:–

(1) आवेदिका की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 45 वर्ष होना चाहिये।

आंगनवाडी सहायिका के लिये जिस केलेण्डर वर्ष में चयन किया जाना हो,उस केलेण्डर वर्ष में 1 जनवरी को आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए ।

(2) आवेदिका संबंधित ग्राम/नगरीय क्षेत्र के वार्ड की स्थायी निवासी होना चाहिये ।

ग्राम/नगरीय क्षेत्र के वार्ड में स्थायी निवासी के प्रमाण के लिये राशन कार्ड संबंधित ग्राम/नगरीय क्षेत्र के वार्ड की मतदाता सूची/बीपीएल सूची में महिला का नाम दर्ज होना चाहिए अथवा अविवाहित महिला होने पर उसके पिता का नाम तथा विवाहित महिला होने उसके पति का नाम दर्ज होना चाहिए । उक्त दोनों बिन्दु भी उपलब्ध नहीं है तो एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र को स्थायी निवास हेतु उपयोग में लिया जा सकता है ।

(3) शैक्षणिक योग्यता –

आंगनवाडी सहायिका के पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(4) चयनित की जाने वाली आंगनवाडी कार्यकर्ता को ना तो स्वयं सरकारी कर्मचारी /अधिकारी अथवा पंचायती राज संस्थाओं /नगरीय निकायों के निर्वाचित अथवा मनोनीत सदस्य होना चाहिये और ना ही चयन प्रकिया से प्रत्यक्ष संबंध रखने वालो की सगे सबंधी होना चाहिये।
सगे सबंधीयों से अभिप्राय,माता पिता भाई,बहन ,पति,पत्नि, पुत्र–पुत्री एवं पुत्र–वधू ।

ब– 2. आंगनवाड़ी सहायिका के नियुक्ति के मापदण्ड (योग्यता सूची)

चयन समिति द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रवार योग्यता सूची (मैरिट.लिस्ट) तैयार की जायेगी। मैरिट सूची तैयार करने हेतु अधिकतम 100 अंक निम्नानुसार दिये जायेंगे –

1. अनु0जाति / अनु0जनजाति की महिला के लिए 10 अंक,
2. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की महिला के लिए 10 अंक.
3. विधवा / परित्यकता / तलाक शुदा / 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला के लिए 10 अंक
4. पांचवी कक्षा में 40 प्रतिशत अंक 30 अंक एवं 40 प्रतिशत से अधिक अंक पर प्रत्येक 2 प्रतिशत पर 1 अंक
5. आठवी कक्षा या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता होने पर 10 अंक

स : चयन व नियुक्ति की प्रक्रिया :–

स–1 आवेदन आमंत्रण :–

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का पद रिक्त होने पर कार्यकर्ता/सहायिका के चयन हेतु आवेदनपत्र आमंत्रित किये जायेगे। यह आवेदनपत्र परिशिष्ट–एक में संलग्न प्रारूप में आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदनपत्र आमंत्रण हेतु पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जाये। आवेदन आमंत्रण की सूचना कलेक्टर कार्यालय,मुख्यकार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय,तहसील कार्यालय,मु0का0अधि0 जनपद पंचायत,परियोजना अधिकारी,बाल विकास परियोजना एवं जिस ग्राम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका का पद रिक्त है,उस संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना फलक पर भी चस्पा किया जायेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता /सहायिका का पद नगरीय क्षेत्र में रिक्त होने की दशा में सूचना मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कार्यालय में भी चस्पा की जायेगी। एक से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रों में पद रिक्त होने की दशा में कलेक्टर अपने विवेक के अनुसार समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदनपत्र आमंत्रित कर सकेंगे।

आवेदनपत्र संबंधित परियोजना अधिकारी,बाल विकास परियोजना के कार्यालय में जमा किये जायेंगे । परियोजना अधिकारी द्वारा आवेदिका को आवेदनपत्र प्राप्ति की रसीद संलग्न परिशिष्ट – दो में निर्धारित प्रपत्र में प्रदाय की जायेगी ;

आवेदनपत्र आमंत्रण की सूचना से 10 दिवस के भीतर आवेदनपत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे । आवेदन आमंत्रण पत्र की सूचना में आवेदन आमंत्रित करने का अंतिम दिनॉक एवं समय का भी उल्लेख किया जायेगा । आवेदनपत्र आमंत्रण की सूचना का प्रारूप परिशिष्ट –3 अनुसार होगा ।

स–2– चयन समिति :–

चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से 10 दिवस के अंदर कर मेरिट लिस्ट के आधार पर अनन्तिम सूची तैयार की जावेगी । यदि चयन समिति द्वारा 10 दिवस के भीतर अनन्तिम सूची तैयार नहीं की जाती है, तो कलेक्टर द्वारा अनन्तिम सूची जारी की जा सकेगी । चयन समिति में संबंधित परियोजना के निम्नांकित सदस्य सम्मिलित होगें :–

1	अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एस डी एम)	– अध्यक्ष
2.	बाल विकास परियोजना अधिकारी	– सचिव
3	ग्रामीण परियोजना के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पचायत एवं शहरी परियोजना के लिये नगरीय निकाय के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी	– सदस्य
4	ग्रामीण परियोजना के लिये जनपद पंचायत की एवं शहरी परियोजना के लिये नगरीय निकाय की स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति का अध्यक्ष	– सदस्य
5	ग्रामीण परियोजना के लिए अध्यक्ष जनपद पंचायत द्वारा नामांकित जनपद पचायत की एक महिला जनपद सदस्य एवं शहरी परियोजना के लिए नगर पालिका अध्यक्ष / महापौर द्वारा नामांकित एक महिला पार्षद	–सदस्य

स–3:– अनन्तिम सूची का प्रकाशन

आंगनवाड़ी **केन्द्रवार तैयार की गयी मैरिट सूची का अनंन्तिम(Provisional) प्रकाशन परियोजना अधिकारी द्वारा किया जावेगा । अनंतिम(Provisional) सूची प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से समाचार पत्रों में जारी की जायेगी एवं** इसकी एक–एक प्रति कलेक्टर कार्यालय,मुख्यकार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,महिला एवं बाल विकास अधिकारी,तहसील कार्यालय,मु0का0अधि0 जनपद पंचायत,परियोजना अधिकारी,बाल विकास परियोजना एवं जिस ग्राम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का पद रिक्त है,उस संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना फलक पर भी चस्पा की जाकर सात दिवस के भीतर आपत्तियाँ स्वीकार की जायेगी ।

स –4 :–. आपत्तियों का निराकरण –

अनन्तिम सूची के आधार पर नियुक्ति प्रकिया के सबंध में प्राप्त आपत्तियाँ परियोजना अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त की जाएगी । जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समस्त परियोजना कार्यालयों से आपत्तियों को एकत्रित कर उनके विवरण सहित आपत्तियों के निराकरण एवं सूची को अंतिम रूप से प्रकाशन हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार गठित समिति के समक्ष रखा जायेगा ।

1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	– अध्यक्ष
2	कलेक्टर के प्रतिनिधि	– सदस्य
3	जिला कार्यक्रम अधिकारी	– सदस्य
4	संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी	– सदस्य
5	जिला पंचायत की स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति के अध्यक्ष.	– सदस्य
6.	जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामांकित जिला पंचायत की एक महिला सदस्य	– सदस्य

उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा 7 दिन के भीतर आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम सूची का अनुमोदन किया जायेगा । यदि संबंधित समिति द्वारा 7 दिवस के भीतर निराकरण/अनुमोदन नहीं किया जाता है तो कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम सूची जारी की जा सकेगी ।

अंतिम सूची जारी होने के दो दिवस के भीतर नियुक्ति आदेश परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे ।

प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए एक योग्य उम्मीदवारों की सूची भी तैयार की जायेगी । जिसमें उस आंगनवाड़ी केन्द्र में प्राप्त आवेदनपत्रों में से मैरिट के कम में नाम रखे जायेंगे। यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता /सहायिका का पद रिक्त होता है तो एक सप्ताह के भीतर इसी सूची से मैरिट कम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता /सहायिका की नियुक्ति की जायेगी ।

स–6:– अपील

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता /सहायिका की नियुक्ति/सेवा से पृथक करने के किसी भी प्रकरण में विवाद होने की स्थिति में आवेदिका द्वारा अन्तिम सूची प्रकाशन के दिनांक से 10 दिवस के भीतर कलेक्टर के समक्ष अपील की जा सकेगी । कलेक्टर द्वारा 15दिवस के भीतर अपील का निराकरण किया जाएगा । संबंधित पक्ष द्वारा यदि चाहें तो द्वितीय अपील प्रथम अपील निराकरण से 10 दिवस के भीतर सम्भागीय आयुक्त के समक्ष कर सकेंगे एवं संभागीय आयुक्त द्वारा अपील का निराकरण अधिकतम 15 दिवस में किया जा सकेगा ।

द–: आंगनवाडी कार्यकर्ता /सहायिका को पद से हटाने की प्रकिया :–

(1) यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता /सहायिका द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र का संचालन नियमानुसार नहीं किया जाता है अथवा उनके द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही की जाती है तो परियोजना अधिकारी / महिला एवं बाल विकास के अन्य उच्च अधिकारी द्वारा आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका को सुनवाई का अवसर देतें हुए जॉच में दोषी पाये जाने पर पद से पृथक किया जा सकेगा।

(2) यदि सहयोगिनी मातृ समिति किसी कार्यकर्ता /सहायिका के कार्य से संतुष्ट नही है तो पृथक सहयोगिनी मातृ समिति इस आशय का प्रस्ताव उपयुक्त कारण दर्शाते हुए बैठक में प्रस्तुत करेगी एवं बैठक में प्रस्ताव बहुमत से पारित होने पर पर्यवेक्षक को प्रेषित करेगी । पर्यवेक्षक स्वयं संबंधित समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में हटाने के कारणों के तथ्यो की जांच करेगी । उसके पश्चात् अपना जांच प्रतिवेदन 15 दिवस में स्पष्ट अनुशंसा सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी को भेजना होगा ।

(8)

परियोजना अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षक कें जांच प्रतिवेदन का परीक्षण करनें एवं उपयुक्त कारण पाये जाने पर सात दिवस में आंगनवाडी कार्यकर्ता /सहायिका की सेवा समाप्ति का निर्णय लेकर सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया जावेगा । आंगनवाड़ी कार्यकर्ता /सहायिका को पद से पृथक करने के पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य होगा।

यदि सहयोगिनी मातृ समिति व पर्यवेक्षक के मत में भिन्नता हो तो बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जांच उपरांत निर्णय लिया जाकर जिला कार्यकम अधिकारी/जिला महिला बाल विकास अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् पद से पृथक किया जा सकेगा ।

3. यदि पर्यवेक्षक की जानकारी में कार्यकर्ता/सहायिका के विरुद्ध कोई गंभीर शिकायत सीधे आती है तो, वह इन शिकायतों पर जांच उपरांत अपना जांच प्रतिवेदन 15 दिवस में स्पष्ट अनुशंसा सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी को भेजना होगा । परियोजना अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षक कें जांच प्रतिवेदन का परीक्षण करनें एवं उपयुक्त कारण पाये जाने पर सात दिवस में आंगनवाडी कार्यकर्ता /सहायिका की सेवा समाप्ति का निर्णय लेकर सेवा समाप्ति के आदेश जारी किया जावेगा । आंगनवाड़ी कार्यकर्ता /सहायिका का पद से पृथक करने के पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य होगा।

कार्यकर्ता/सहायिका की उम्र 60 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी ।

संलग्न परिशिष्ट में आवेदन पत्र, अवेदन पत्र की पावती एवं आवेदन पत्र आमंत्रण की सूचना का रूप संलग्न है। जिसे स्थानीय परिस्थितियों अनुसार परिवर्तन किए जा सकते है।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(रमेश तोलानी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका पद के चयन हेतु आवेदन–पत्र

प्रति,

परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास परियोजना
परियोजना.....................जिला.................
मध्यप्रदेश

फोटो

(1) आंगनवाडी केन्द्र का नाम . ...
जिसके लिये आवेदन दिया जा रहा है ।

(2) आवेदिका का नाम ....
....

(3) आवेदिका के पति/पिता का नाम ....

(4) आवेदिका की जन्मतिथि

तारीख	माह	वर्ष

1 जनवरी को आवेदिका की आयु

वर्ष	माह	दिन

(5) आवेदिका का पता ....
....

(6) मतदाता सूची बीपीएल सूची

	बीपीएल सूची सरल कमांक	मतदाता सूची का सरल कमांक
(I) आवेदिका		
(II) आवेदिका का नाम न होने की स्थिति में पिता या पति के नाम का सरल कमांक		

(III) बिन्दु I एवं II में नाम न होने की स्थिति में एसडीएम ....
/तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र का विवरण ....

(7) शैक्षणिक योग्यता :–
(शैक्षणिक योग्यता हेतु अंकसूची की सत्यप्रति संलग्न की जाये)

(8) आवेदिका की जाति :–
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ....
अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य

(9) वैवाहिक स्थिति (Status) :–
विवाहित / 30 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित / ....
विधवा / तलाकशुदा / परित्यकता ....

(10) यदि आवेदिका द्वारा पूर्व में आंगनबाड़ी
सहायिका / शिशु शिक्षा केन्द्र की दीदी
शहरी क्षेत्र में संचालित पोषण आहार
केन्द्र पर संगठिका के पद पर कार्य
किया है तो ऐसे पदपर कार्यरत अवधि

(अ) आंगनबाड़ी केन्द्र का कमांक एवं नाम / ....
कार्यस्थल का नाम

(ब) आंगनवाड़ी केन्द्र पर कार्य करने की अवधि

वर्ष	माह

(स) पूर्व में पद छोड़ने का कारण. ....

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है। यदि दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो इसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगी तथा इसके लिये मेरे विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान:–
दिनांक

(हस्ताक्षर आवेदिका.)
....
नाम................................
पति / पिता का नाम................
....

संलग्नक

परिशिष्ट

आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अनुलग्नक

1. जन्मतिथि के लिए नियत अंक सूची ।
2. शैक्षणिक योग्यता के लिए हायरसैकण्डरी /स्नातक/स्नातकोत्तर की अंकसूची । आदिवासी क्षेत्र के लिए आठवी कक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची ।
3. राशन कार्ड /वोटर लिस्ट/गरीबी रेखा परिवार सूची का कमांक एवं उसकी छाया प्रति जिसमें आवेदिका अथवा उसके पति/पिता का नाम दर्ज हो ।
4. राशन कार्ड/वोटर लिस्ट/गरीबी रेखा परिवार सूची में आवेदिका/पिता या पति का नाम न होने की दशा में एस.डी.एम./तहसील द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
5. अनु0जाति/जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग होने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र ।
6. विधवा/परित्यक्ता होने की दशा में सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र ।
7. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र

परिशिष्ट – दो

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की पावती

कु0 / श्रीमती ——————————का आवेदनपत्र आँगनवाड़ी केन्द्र—————————जनपद पंचायत————————जिला————————ने रिक्त आंगनवाडी कार्यकर्ता के पद हेतु निम्न अनुलग्नकों सहित दिनॉक ———————समय———बजे प्राप्त हुआ।

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदनपत्र।
2. जाति प्रमाणपत्र।
3. स्थायी निवासी प्रमाणपत्र / वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति।
4. बीपीएल सूची की सत्य प्रति।
5. हायरसेकेण्डरी परीक्षा की मार्कशीट की सत्यप्रतिलिपि।
6. स्नातक परीक्षा की मार्कशीट की सत्य प्रतिलिपि।
7. स्नातकोत्तर परीक्षा की मार्कशीट की सत्यप्रतिलिपि।
8. अनुभव के प्रमाणपत्र की छाया प्रति।
9. अन्य

नोट :- जो लागू न हो उसे काट दिया जाये।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
पदमुद्रा सहित पूर्ण नाम लिखें

स्थान –
दिनॉक –

परिशिष्ट –तीन

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रण की सूचना

--------------जिले के निम्नलिखित आंगनवाडी केन्द्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है । जिसके लिए संबंधित ग्राम/नगरीय क्षेत्र के वार्ड के स्थायी निवासी महिला आवेदिकाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं । आवेदनपत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित परियोजना अधिकारी के कार्यालय में दिनॉक -------- को --------बजे तक जमा कराये जा सकते हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के संबंध में अन्य जानकारी एवं विवरण संबंधित परियोजना कार्यालय अथवा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित आवेदनपत्र का प्रारूप भी परियोजना अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

आवेदनपत्र आमंत्रण की सूचना संबंधित ग्राम पंचायत कलेक्टर कार्यालय, मु0का0अधि0 जिला पंचायत,तहसील कार्यालय,मु0का0अधि0 जनपद पंचायत कार्यालय एवं परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचनापट पर भी अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.	ऑगनबाड़ी केन्द्र का नाम जहॉ पद रिक्त है	विकासखण्ड का नाम
1		
2		
3		
4		
5		
6		

स्थान–
दिनॉक –

संलग्न–आवेदन पत्र का प्रारूप

जिला कार्यक्रम अधिकारी/
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी

परिशिष्ट – चार(अ)

शहरी एवं सामान्य ग्रामीण क्षेत्र

क0	विवरण	निर्धारित अधिकतम अंक
1.	श्रेणी – अनु0जाति / अनुसूचित जनजाति	5
2.	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने पर	10
3.	विधवा / परित्यकता / तलाक शुदा / 30वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला के लिए	10
4.	आंगनवाडी केन्द्रों की सहायिका / मिनी आंगनवाडी केन्द्रों की कार्यकर्ता / शिशु शिक्षा केन्द्र की दीदियों / शहरी विकास अभिकरणों द्वारा संचालित बालवाडियों की शिक्षिका / पूर्व में शहरी क्षेत्र में संचालित पोषण आहार केन्द्रों पर कार्यरत पोषण आहार संगठिकाओं / पूर्व मे अन्य स्थान पर कार्यरत आंगनवाडी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष कार्य का अनुभव । (उक्त लाभ केवल उन्ही आवेदिकाओं को दिया जावेगा जिन्हें शिकायत के आधार पर हटाया न गया हो.)	10
5.	1).हायर सेकेण्डरी मे 40 प्रतिशत तक 2) 40 प्रतिशत से अधिक अंक पर प्रत्येक 2 प्रतिशत पर 1 अंक.	20 30 अधिकतम
6.	स्नातक उत्तीर्ण	10
7.	स्नातकोत्तर	5
	कुल योग :–	100

स्नातक एवं स्नातकोत्तर श्रेणी के लिए प्रतिशत का ध्यान नहीं रखा जायेगा । उदाहरण के लिए यदि एक आवेदिका स्नातक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है और दूसरी आवेदिका तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण है तो दोनों आवेदिकाओं को समान अंक प्राप्त होंगे अर्थात स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री के लिए प्रतिशत को ध्यान में रखे वगैर डिग्री के आधार पर अंक दिये जायेंगे ।

परिशिष्ट — चार (ब)

आदिवासी क्षेत्र

क0	विवरण	निर्धारित अधिकतम अंक
1.	अनु0जाति / अनु0जनजाति की महिला के लिए	5
2.	गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की महिला के लिए	10
3	विधवा / परित्यक्ता / तलाक शुदा / 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला के लिए	10
4	आंगनवाडी केन्द्रों की सहायिका / मिनी आंगनवाडी केन्दों की कार्यकर्ता / शिशु शिक्षा केन्द्र की दीदियों / शहरी विकास अभिकरणा द्वारा संचालित बालवाडियों को शिक्षिका / पूर्व में शहरी क्षेत्र में संचालित पोषण आहार केन्द्रों पर कार्यरत पोषणआहार संगठिकाओं / पूर्व मे अन्य स्थान पर कार्यरत आंगनवाडी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष कार्य का अनुभव । (उक्त लाभ केवल उन्हीं आवेदिकाओं को दिया जावेगा जिन्हें शिकायत के आधार पर हटाया न गया हो,)	10
5.	1) आठवीं कक्षा में 40 प्रतिशत तक 2) 40 प्रतिशत से अधिक अंक पर प्रत्येक 2 प्रतिशत पर 1 अंक.	20 30 अधिकतम
6.	हायर सैकेण्डरी तक उत्तीर्ण होने पर	10
7.	स्नातक होने पर	5
	कुल योग :—	100

स्नातक एवं स्नातकोत्तर श्रेणी के लिए प्रतिशत का ध्यान नहीं रखा जायेगा । उदाहरण के लिए यदि एक आवेदिका स्नातक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है और दूसरी आवेदिका तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण है तो दोनों आवेदिकाओं को समान अंक प्राप्त होंगे अर्थात स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री के लिए प्रतिशत को ध्यान में रखे बगैर डिग्री के आधार पर अंक दिये जावेंगे ।

परिशिष्ट – चार(स)

आंगनवाडी सहायिका के पद हेतु अंकों का निर्धारण

क्र0	विवरण	निर्धारित अधिकतम अंक
1	अनु0जाति / अनु0जनजाति की महिला के लिए	10
2	गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की महिला के लिए	10
3	विधवा / परित्यकता / तलाक शुदा / 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला के लिए	10
4	1) पांचवी कक्षा मे 40 प्रतिशत तक	20
	2) 40 प्रतिशत से अधिक अंक पर प्रत्येक 2 प्रतिशत पर 1 अंक	30 अधिकतम
5	आठवी कक्षा या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता होने पर	10
	कुल योग :–	100

स्नातक एवं स्नातकोत्तर श्रेणी के लिए प्रतिशत का ध्यान नहीं रखा जायेगा । उदाहरण के लिए यदि एक आवेदिका स्नातक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है और दूसरी आवेदिका तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण है तो दोनों आवेदिकाओं को समान अंक प्राप्त होंगे अर्थात स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्री के लिए प्रतिशत को ध्यान में रखे बगैर डिग्री के आधार पर अंक दिये जायेंगे ।

परिशिष्ट – पांच

नियुक्ति हेतु समय–सीमा

1. आवेदन प्राप्त करना – आवेदन पत्र आमंत्रण की सूचना जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर ।
2. **अनन्तिम सूची का प्रकाशन** – आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से 10 दिवस के अंदर
3. दावे **आपत्तियों की प्राप्ति** – अनन्तिम सूची के प्रकाशन से 7 दिवस के अंदर ।
4. दावे **आपत्ति निराकरण उपरांत अन्तिम सूची का प्रकाशन** – दावे आपत्ति प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से 7 दिवस के अंदर।
5. नियुक्ति पत्र **जारी करना** – अन्तिम सूची जारी होने से दो दिवस के अंदर।
6. प्रथम अपील **करने की अवधि** – अन्तिम सूची प्रकाशन के दिनांक से 10 दिवस के अंदर।
7. प्रथम अपील **का निराकरण** – अपील प्रस्तुत होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर ।
8. **द्वितीय अपील करने की अवधि** – प्रथम अपील निराकरण से 10 दिवस के अंदर ।
9. द्वितीय अपील **का निराकरण** – द्वितीय अपील प्राप्त होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर ।

परिशिष्ट – छः

आई.सी.डी.एस. विस्तार कार्यक्रम द्वितीय चरण अन्तर्गत स्वीकृत 9314 आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं की नियुक्ति हेतु निर्धारित समय सीमा

क	गतिविधि	समयावधि	गतिविधियों हेतु निर्धारित तिथि
1	आवेदन आमंत्रण की सूचना जारी करना		25 जुलाई 2007 तक
2	आवेदन प्राप्त करना	10 दिवस	03 अगस्त 2007 तक
3	अन्नतिम सूची का प्रकाशन	10 दिवस	13 अगस्त 2007 तक
4	दावे आपत्तियों की प्राप्ति–	07 दिवस	20 अगस्त 2007 तक
5	दावे आपत्तियों के निराकरण उपरान्त अंतिम– सूचि का प्रकाशन	07 दिवस	27 अगस्त 2007 तक
6	नियुक्ति पत्र जारी करना–	02 दिवस	29 अगस्त 2007 तक

मध्य प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
// संशोधन //

भोपाल, दिनांक, 27/07/2007

क्रमांक एफ 3-2/2006/50-2:-- राज्य शासन इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 10-07-2007 से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ एवं सहायिकाओं के चयन एवं नियुक्ति के जारी संशोधित निर्देशों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हताए 3 (शैक्षणिक योग्यता) "आदिवासी क्षेत्रों में महिला अभ्यार्थी अनिवार्यत न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए" के नीचे नोट मे "आदिवासी क्षेत्र में 8वीं उत्तीर्ण उसी स्थिति मे मान्य होगा जबकि 10वीं अथवा 12वीं उत्तीर्ण महिला अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं" पढ़ा जावे ।

उक्त जारी आदेश में 2 (अ) शहरी एवं सामान्य ग्रामीण क्षेत्र की कंडिका (5) मे हायर सेकण्डरी मे 40 प्रतिशत तक 20 अंक एवं 40 प्रतिशत से अधिक अंक पर प्रति 2 प्रतिशत पर 1 अंक के स्थान पर हायर सेकण्डरी में 40 प्रतिशत तक 25 अंक एवं 40 प्रतिशत से अधिक अंक पर प्रति 2 प्रतिशत पर 1 अंक पढा जाय। कंडिका-7 स्नातकोत्तर होने पर 5 अंक विलोपित समझा जावे ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रमेश तोतरे)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
भोपाल दिनांक 27/07/2007

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 3-2/2006/50-2
प्रतिलिपि-निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
3. संचालक, महिला एवं बाल विकास म0प्र0 भोपाल
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश ।
6. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश।
7. समस्त परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना म0प्र0।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्य प्रदेश।
9. समसत सचिव, ग्राम पंचायत, मध्य प्रदेश ।
10. गार्ड फाईल ।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विभाग

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 3– 2/2006/50-2 भोपाल, दिनांक 29/8/07

प्रति,

कलेक्टर,
जिला समस्त म.प्र.

विषय :– आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के चयन एवं नियुक्ति निर्देशों के संबंध में मार्गदर्शन।

संदर्भ :– जिला कार्य.अधि.धार का अर्द्ध.शा. पत्र कमांक 259 दिनांक 24.8.07 एवं परि.अधि. पिपरिया जिला होशंगाबाद का पत्र क.500 दिनांक 23.8.07।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन एवं नियुक्ति निर्देश एफ 3–2/06 /50–2, भोपाल, दिनांक 10.7.2007 एवं म.प्र.शासन के संशोधन परिपत्र क.एफ–3–2/06 /50–2, दिनांक 27.7.2007 में आदिवासी क्षेत्रों में निर्धारित अंक प्रकिया तथा साड़ा क्षेत्र में चयन समिति के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन एवं नियुक्ति निर्देश एफ 3–2/06 /50–2, भोपाल, दिनांक 10.7.2007 की कंडिका अ–2 (ब) आदिवासी क्षेत्र की उप कंडिका 05 में आठवीं के स्थान पर आठवीं/दसवी मान्य किया जाए तथा एक से अधिक हायरसैकण्डरी उत्तीर्ण महिला उम्मीदवार मिलने पर नियुक्ति निर्देश के कण्डिका अ--2(अ) शहरी एवं सामान्य ग्रामीण क्षेत्र संबंधित अंक तालिका अनुसार नियुक्ति की जावे।

इसी प्रकार साडा क्षेत्र में नियुक्ति निर्देश के कडिका स–2– चयन समिति में जनपद पंचायत के स्थान पर साडा के अध्यक्ष/सदस्यों को चयन समिति में रखा जावें।

(रमेश तोलानी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन
महिला एवं बाल विकास म.प्र.

letter05

पृ.क्रमांक / एफ–3 / २/२००७/५०.२ भोपाल, दिनांक २७.४.०७

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग।
3. संचालक, महिला एवं बाल विकास म.प्र. भोपाल
4. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक / प्रभारी संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग म.प्र.
6. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समस्त परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत म.प्र.
9. गार्ड फाईल

अवर सचिव
म.प्र.शासन
महिला एवं बाल विकास म.प्र.

मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मंत्रालय वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमांक / एफ 3–2 / 2007 / 50–2 / भोपाल दिनांक 13/9/07

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–समस्त,
मध्यप्रदेश.

विषय:– आंगनवाडी कार्यकर्ता / सहायिका के चयन एवं नियुक्ति निर्देशों के सबंध मे मार्गदर्शन ।

संदर्भ:– संयुक्त संचालक संभागीय कार्यालय ग्वालियर का पत्र क्रमांक क्यू–19 / पबांवि / निरीक्षण / 2007–08 / 72 ग्वालियर दिनांक 3 / 9 / 2007

आगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन एवं नियुक्ति निर्देश क्रं / एफ 3–2 / 06 / 50–2 / भोपाल दिनांक 10 / 7 / 2007 एवं मध्यप्रदेश शासन के संशोधन परिपत्र क्रमांक एफ 3–2 / 06 / 50–2 / दिनांक 27 / 7 / 2007 एवं पत्र क्रमांक एफ 3–2 / 2006 / 50–2 / भोपाल,दिनांक 29 / 8 / 2007 में द्वितीय फेज में स्वीकृत आंगनवाडी केन्द्रों पर आंगनवाडी कार्यकर्ता / सहायिका की नियुक्ति एवं पूर्व में रिक्त पदों पर निर्धारित योग्यता प्राप्त महिला उम्मीदवार के आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण पदों की पूर्ति हेतु मार्गदर्शन दिया गया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में 9914 आंगनवाडी केन्द्रो का संचालन 30 सितम्बर 2007 के पूर्व किया जाना है । अतः किसी भी परिस्थिति में केन्द्रों का कियान्वयन प्रारभ करने हेतु इस संदर्भ में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है ।

आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन एव नियुक्ति निर्देश एफ 3–2 / 06 / 50–2,भोपाल दिनांक 10 / 7 / 2007 की निम्नलिखित कण्डिकाओं को केवल एक बार के लिये अस्थाई रूप से निम्नानुसार शिथिल किया जाता है –

<u>कंडिका अ–1 की उप कंडिका (3) में</u> (I) आगनवाडी क्षेत्र में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के उम्मीदवार न मिलने पर सम्बंधित ग्राम की हाई स्कूल उत्तीर्ण महिला का चयन किया जावें । हाईस्कूल उत्तीर्ण महिला उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी ग्राम की आठवी उत्तीर्ण महिला का चयन किया जावें । न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । इस प्रकार आठवी पास चयनित आंगनवाडी कार्यकर्ता को दो वर्ष के अन्दर हाई स्कूल परीक्षा

उत्तीर्ण करनी होगी । गॉव मे जैसे ही चयनित आंगनवाडी कार्यकर्ता (मिडिल पास) से अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाली महिला उपलब्ध होती है मे उसका विधिवत चयन किया जावेगा । सम्बंधित पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होगी की वह ग्राम मे अधिक शैक्षणिक योग्यता की महिला उपलब्ध होने की जानकारी परियोजना अधिकारी को देगी जो कि अधिक शैक्षणिक योग्यता वाली महिला के चयन की कार्यवाही सम्पन्न करायेगें ।

(II) कंडिका अ–2(अ) उप कंडिका 4 में शिशु शिक्षा केन्द्रों के दीदी का अनुभव पांच वर्ष को शिथिल कर 3 वर्ष मान्य किया जाता है ।

(III) कंडिका कमांक ब–1 उप कंडिका (3) आगनवाडी सहायिका की पद पूर्ति हेतु कक्षा पांच पास महिला न मिलने पर प्राथमिकता कम में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त महिला अभ्यर्थी का चयन किया जावें,परंतु न्युनतम शैक्षणिक योग्यता साक्षर होना चाहिये। साक्षर महिला न मिलने पर निरक्षर महिला अभ्यर्थी का चयन किया जावें । परन्तु महिला उसी ग्राम की होना आवश्यक है ।

उपरोक्तानुसार शिथिलता केवल निम्न लिखित स्थितियों में ही मान्य होगी :–

1 पूर्व में निर्धारित योग्यता के आधार पर आमन्त्रित आवेदन पत्रों में यदि निर्धारित पात्रता के अनुसार कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ हो ।

2 स्थानीय पर्यवेक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से इस तथ्य की पृष्टि भी की गई हो कि उस क्षेत्र मे अपेक्षित योग्यता का कोई उम्मीद्वार नहीं है ।

3 आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो ।

4 आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका की नियुक्ति आदेश म यह उल्लेख किया जावें कि उस ग्राम से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मिलने पर उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी ।

उक्त शिथिलता केवल वर्णित पत्र जारी होने के दिनांक से होने वाली नियुक्तियो पर लागू होगी ।

(रमेश तोलानी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग .

पृष्ठांक एफ 3-2/2007/50-2/ भोपाल,दिनांक 13/3/07

प्रतिलिपि निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1 प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।

मध्य प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ–भवन, भोपाल–462004.

क्रमांक एफ 2–3 /06/50–2 भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर, 2007

प्रति,

1. संचालक, महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश
2. समस्त जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/प्रभारी संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश
4. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी मध्यप्रदेश
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश
7. समस्त परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना म0प्र0

विषय :– प्रदेश में स्वीकृत 9914 आंगनबाड़ी केन्द्रों में नियुक्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मार्गदर्शन बावत्।

संदर्भ :– म.प्र.शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 10.07.2007.

———000———

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रदेश में नवीन स्वीकृत 9914 आंगनबाड़ी केन्द्रों में नियुक्ति हेतु संदर्भित निर्देश जारी किये गये है। अनेक जिलों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि अनेक स्थानों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इस स्थिति में उनके द्वारा र्मादर्शन चाहा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में समस्त आंगनबाड़ियों में कार्यकर्ता/सहायिकाओं की नियुक्तियाँ शीघ्र किया जाना है।

वर्णित स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं के चयन एवं नियुक्ति हेतु जारी निर्देश एफ 3–2/06/50–2, दि. 10.07.07 की कंडिका अ–1 की उप कंडिका 3 को केवल एक बार के लिये निम्नानुसार शिथिल किया जाता है,

Sect-90

[illegible] यालय के निर्देशों के पालन में नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण हो सके :–

"जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की महिला अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति नहीं की गई हो उस ग्राम की अधिकतम शैक्षणिक योग्यतावाली महिला को नियुक्ति हेतु योग्य माना जा सकता है।"

उक्त मार्गदर्शन वर्तमान में रिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में से उन केन्द्रों के लिये ही लागू होगा जहां निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की महिला अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं हुई हो। उक्त शिथिलता केवल वर्णित पत्र जारी होने के दिनांक से होने वाली नियुक्तियों हेतु लागू होगा। उक्त नियुक्ति केवल उतनी ही समयावधि के लिये रहेगी, जब तक निर्धारित योग्यता के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो जाते है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अखिलेश श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 12.10.2007

पृ.क. एफ 3–2/06/50–2
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश।
4. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

Sect-91

-24-

मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मंत्रालय

कं/एफ 3–2/06/50–2, भोपाल, दिनांक 23-7-09

प्रति,

1. आयुक्त/संचालक, महिला एवं बाल विकास भोपाल ।
2. समस्त संभागायुक्त, म.प्र. ।
3. समस्त जिलाध्यक्ष ,म.प्र.
4. समस्त संयुक्त संचालक, समस्त संभाग म.प्र.
5. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,म.प्र.
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, म.प्र.
7. समस्त परियोजना अधिकारी , एकीकृत बाल विकास परियोजना ,म.प्र.
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, म.प्र.
9. समस्त सचित, ग्राम पंचायत , म.प्र.

विषय :–आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के चयन एवं नियुक्ति हेतु निर्देश।

आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन एवं नियुक्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के ज्ञापन कं एफ 3–2/06/50–2/भोपाल दिनांक 10.07.2007 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में 9691 आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा 9820 उप आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी केन्द्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओ एवं उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त कार्यवाही हेतु आयुक्त, महिला एवं बाल विकास के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 4811 दिनांक 27.05.2009 द्वारा मार्गदर्शी दिशा निर्देश एवं समय–सारणी जारी की गई थी। उक्त निर्देशों में परियोजना कार्यालयों में ड्राप बाक्स रखकर उसमें आवेदन पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिये गये थें।

विभिन्न स्तरों से जानकारी प्राप्त हो रही थी कि ड्राप बाक्स में आवेदन डालने पर उक्त आवेदन की पावती तथा आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की पुष्टि हेतु कोई अभिस्वीकृति आवेदनकर्ता को नहीं दी जा रही हैं । जिससे आवेदनकर्ताओं द्वारा संलग्न किये गये दस्तावेजों के प्रमाण न होने पर अंतिम रूप से तैयार मैरिट सूची में पात्र महिलाओं को अवसर न मिलने की प्रबल संभावना है। उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ड्राप बाक्स में आवेदन पत्र प्राप्त कर नियुक्ति हेतु की जा रही कार्यवाही निरस्त करते हुए 9691 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र 9820 उप आंगनवाड़ी केन्द्रों में नियुक्ति प्रक्रिया हेतु तथा भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही निम्नानुसार संशोधित निर्देशों के अनुसार की जाए।

1. नियुक्ति के सम्पूर्ण कार्रवाई शासन के ज्ञाप क्रं एफ 3–2 / 06 / 50--2 / भोपाल दिनांक 10.07.2007 के अनुसार ही सम्पादित की जाये, परन्तु उक्त निर्देशों की कंडिका अ–2–(अ) एवं अ–2(ब) की उपकंडिका 4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

''आंगनवाडी केन्द्रों की सहायिका / मिनी आंगनवाडी केन्दों की कार्यकर्ता/ शिशु शिक्षा केन्द्र की दीदियों /शहरी विकास अभिकरण द्धारा संचालित बालवाडियों की शिक्षकिा /पूर्व में शहरी क्षेत्र में संचालितं पोषण आहार केन्द्रों पर कार्यरत पोषण आहार संगठिकाओं /पूर्व मे अन्य स्थान पर कार्यरत आंगनवाडी कार्यकर्ता/ आशा कार्यकर्ता । (उक्त लाभ केवल उन्ही आवेदिकाओं को दिया जावेगा जिन्हें शिकायत के आधार पर हटाया न गया हो,) – अधिकतम 10 अंक, (प्रथम दो वर्ष के लिये 4 अंक तथा शेष 03 वर्षो के लिये प्रत्येक वर्ष के लिये 2–2 अंक प्रतिवर्ष इस तरह कुल 10 अंक, 2 वर्ष से कम अनुभव के लिये कोई लाभ नहीं दिया जाऐगा) ''

2. परियोजना कार्यालय से आवेदनकर्ताओं को प्राप्ति–अभिस्वीकृति देने हेतु पूर्व में निर्धारित परिशिष्ट 02 में संलग्न प्रारुप के अनुसार संशोधन किया जाए।

3. जिला स्तर से आवेदन पत्र आंमत्रित करने हेतु संलग्न परिशिष्ट 03 के पूर्व में प्रेषित प्रारुप के स्थान पर संलग्न प्रारुप अनुसार विज्ञापन जारी किया जाये।

4. नियुक्ति की कार्रवाई हेतु परिशिष्ट 06 पर संलग्न पूर्व की समय सारणी में संलग्न अनुसार संशोधन किया जाता है।

अतः पूर्व में 9691 आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिकाओं एवं 9820 उप आंगनवाडी कार्यकर्ताओं की भर्ती हेतु की गई कार्रवाई निरस्त करते हुए उक्त पदों एवं भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर उपरोक्त संशोधित निर्देशों के अनुसार नियुक्ति की कार्रवाई की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(घनश्याम सहारे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृष्ठां0क्रमांक 3–2/06/50–2 भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2009

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी

एकीकृत बाल विकास परियोजना.....................................

जिला.....................................

परिशिष्ट 02

पावती

दिनांक.........................

श्रीमती / कुमारी .... / पिता / पति श्री ....

से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक (वार्ड न) .... हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हैं। आवेदन पत्र संरल क्रमांक .... दिनांक .... पर पंजीकृत किया गया है।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति प्राप्त हुई है :–

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र (हॉ / नहीं)
2. जन्मतिथि प्रमाणीकरण संबंधी प्रमाण पत्र की स्त्यापित प्रति (हॉ / नहीं)
3. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की स्त्यापित प्रति (हॉ / नहीं)
4. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्त्यापित प्रति (हॉ / नहीं)
5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई निवास प्रमाण पत्र की स्त्यापित प्रति (हॉ / नहीं)
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) का प्रमाण पत्र की स्त्यापित प्रति (हॉ / नहीं)
7. जारी विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा प्रमाण पत्र
8. अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र (हॉ / नहीं)
   (कार्यकर्ता / सहायिका / मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ता / पोषण आहार कार्यकर्ता की संगठिका / शिशु शिक्षा केन्द्र की दीदी)
9. अन्य – विववरण
   (कुल पृष्ठ संख्या ....)

हस्ताक्षर
आवेदन पत्र प्राप्तकर्ता
वास्ते परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना ....
जिला ....

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

पत्र कं. / 2009

.....दिनांक

परिशिष्ट 03

म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा .... जिले की ... परियोजनाओं में ..... आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं ...... मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रारंभ करने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी है, जिसके लिये निम्नानुसार कुल ..... आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ... आंगनवाड़ी सहायिकाओं तथा ... मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र ...... कार्यकर्ताओं के पूर्णतः अस्थायी एवं मानदेय आधारित पदों के लिये पात्र महिलाओं के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है ।

क.	नाम परियोजना	स्वीकृत आं.वा. केन्द्र	आंगनवाडी कार्यकर्ता	आं.वा. सहायिका	स्वीकृत मिनी आंगनवाडी केन्द्र
1					
2					

जिले में स्वीकत नवीन ... आंगनवाड़ी केन्द्र एवं ... मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की नामवार सूची संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पटेल पर चस्पा की गयी है ।

<u>आवश्यक अर्हताऐं :–</u> उक्त पदों पर शासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार ही नियुक्ति प्रकिया अपनायी जावेगी । उक्त पदों हेतु कैलेण्डर वर्ष 1 जनवरी 2009 की स्थिति में आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होना चाहिये । इसके अतिरिक्त आवेदिका को जिस ग्राम एवं वार्ड में आंगनवाड़ी केन्द्र खोला जा रहा है, वहां की स्थायी निवासी होना आवश्यक है । यदि उस वार्ड या ग्राम की मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा हो तो अनुविभागीय अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र साथ दिया जा सकता है ।

<u>शैक्षणिक योग्यता :–</u> आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए नगरीय / ग्रामीण क्षेत्रों में 12वी. / 11वीं बोर्ड एवं आदिवासी क्षेत्रों में 10वीं / 12वीं योग्यता के आवेदक उपलब्ध न होने पर न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है । उक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु) के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं नियुक्ति प्रकिया आंगनवाड़ी सहायिका के समान होगी । विस्तृत जानकारी, मानदेय शर्ते, आवेदन पत्र, अन्य अर्हताऐं संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।

<u>नियुक्ति प्रक्रिया :–</u>

उक्त पदों के लिये निर्धारित चयन प्रक्रिया में आवेदनकर्ता से प्राप्त प्रमाण–पत्रों के आधार पर तैयार मैरिट सूची पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार की जाएगी। प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रारंभिक छानबीन जनपद स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। प्रारंभिक छानबीन के पश्चात सभी आवेदकों को प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार तुलनात्मक सूची एवं अनन्तिम सूची जारी की जाऐगी। उक्त अनन्तिम सूची के विरूद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा । तदपश्चात अंतिम सूची जारी की जाएगी। उक्त अंतिम सूची के विरूद्ध 30 दिवस में प्रथम अपील जिला कलेक्टर को तथा कलेक्टर स्तर से निराकरण न होने की दशा में संभागीय आयुक्त को की जा सकेगी।

आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना :–

उक्त आवेदन आमंत्रण की सूचना जिला ...... में स्थित कार्यालय कलेक्टर/ कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला ... /संबंधित तहसील कार्यालयों/जनपद पंचायत कार्यालयों/एकीकृत बाल विकास परियोजना महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय/संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर भी आवलोकन किया जा सकता है । संबंधित आवेदक अपने पूर्णतः भरे आवेदन पत्र मय आवश्यक सहपत्रों के संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय स्थित में कार्यालयीन दिवस एवं समय में दिनांक 17.08.2009 (17 अगस्त 2009) तक जमा कराकर निर्धारित प्रारूप में प्राप्ति अभिस्वीकृति प्राप्त कर सकते है।

नोट – पूर्व में उक्त पदों हेतु आमंत्रित आवेदनों में जिन अभ्यार्थियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे वे अपने पूर्व के आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त कर सकेगें तथा उक्त आवेदन को पुनः बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा कराकर निर्धारित प्रारूप में रसीद प्राप्त कर सकगें। पूर्व में जमा किये गये आवेदन स्वमेव मान्य नहीं किये जाऐगे। अतः उक्त अभ्यार्थियों को भी पुनः आवेदन करना होगा।

प्रदेश में स्वीकृत 86 नवीन बाल विकास परियोजनाओं एवं 9691 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं 9820 उप आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रारंभ करने हेतु समयावधि निर्धारित करने बाबत्।

परिशिष्ट "6"

क्रमांक	की जाने वाली कार्यवाही विवरण	कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि	अधिकारी जिसके स्तर से कार्यवाही पूर्ण की जाना है	रिर्माक
1	2	3	4	5
1	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिकओं / उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिये विज्ञप्ति जारी करना	31 जुलाई 2009	जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी / बाल विकास परियोजना अधिकारी	विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु जारी निर्देशों के तहत
2	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिकओं / उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना	17 अगस्त 2009	बाल विकास परियोजना अधिकारी	विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत
3	प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन कर अनन्तिम सूची प्रकाशित करना	27 अगस्त 2009	नियुक्ति प्रक्रिया हेतु गठित चयन समिति	विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत
4	अनन्तिम सूची के विरूद्ध दावे आपत्तिया प्राप्त करना।	7 सितम्बर 2009	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचापयत की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा	विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत
5	दावे आपत्तियों के निराकरण उपरान्त अंतिम सूची का प्रकाशन	15 सितम्बर 2009	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचापयत की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा	विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत
6	चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिकओं / उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हेतु आदेश जारी करना	22 सितम्बर 2009	बाल विकास परियोजना अधिकारी	विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत
7	नियुक्ति आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील करना	नियुक्ति आदेश जारी होने के 30 दिवस के अन्दर		जिला कलेक्टर के समक्ष की जाऐगी एवं कलेक्टर द्वारा इसका निराकरण 15 दिवस के अन्दर किया जाऐगा।

8	नियुक्ति आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील करना	प्रथम अपील निराकृत होने के 30 दिवस के अन्दर		संभागीय आयुक्त के [illegible] की जाऐगी एवं संभागीय आयुक्त द्वारा इसका निराकरण 15 दिवस के अन्दर किया जाऐगा।
9	नियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिकाओ / उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इण्डेक्शन प्रशिक्षण देना	30 सितम्बर 2009	जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी / बाल विकास परियोजना अधिकारी / सहायक संचालक प्रशिक्षण	सहायक संचालक प्रशिक्षण, संचालनालय म.बा.वि. द्वारा इस संबंध में विस्तृत निर्देश शीघ्र ही जारी किये जाऐगे।
10	परियोजना कार्यालयों / आंगनवाड़ी केन्द्रों / उप आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु राशि का बजट जारी करना	01 सितम्बर 2009	आई.सी.डी.एस शाखा एवं बजट शाखा।	शासन द्वारा जारी नवीन निर्देशों एवं मापदण्डों के तहत।

संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र.
ब्लाक–2, चतुर्थ तल, पर्यावास भवन भोपाल

क्रमांक / मबावि / आईसीडीएस / 09 / 6555 भोपाल, दिनांक 31/7/09

प्रति,

1. आयुक्त / संचालक, महिला एवं बाल विकास भोपाल ।
2. समस्त संभागायुक्त, म.प्र. ।
3. समस्त जिलाध्यक्ष , म.प्र.
4. समस्त संयुक्त संचालक, समस्त संभाग म.प्र.
5. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, म.प्र.
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, म.प्र.
7. समस्त परियोजना अधिकारी , एकीकृत बाल विकास परियोजना , म.प्र.
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, म.प्र.
9. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत , म.प्र.

विषय –आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के चयन एवं नियुक्ति हेतु जारी नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रारूप में संशोधन

संदर्भ : मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का पत्र क्र / एफ 3–2 / 06 / 50–2, भोपाल, दिनांक 23.07.2009 ।

कृपया शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेश का अवलोकन करें। जिसमें आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं एवं उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के चयन एवं नियुक्ति हेतु जारी विज्ञापन प्रारूप प्रेषित किया गया था। उक्त विज्ञापन प्रारूप में लिपिकिय त्रुटिवश कुछ अंश टंकित नहीं हो पाया था। यथा संशोधित विज्ञापन प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

संचालक
महिला एवं बाल विकास म.प्र.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित

पत्र कं. / 2009 .....दिनांक

परिशिष्ट 03

म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा .... जिले की ... परियोजनाओं मे ... आंगनवाड़ी केन्द्रों एवं .... मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रारंभ करने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी है, जिसके लिये निम्नानुसार कुल ..... आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी सहायिकाओं तथा ... मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र ...... कार्यकर्ताओं के पूर्णतः अस्थायी एवं मानदेय आधारित पदों के लिये पात्र महिलाओं के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है ।

क्र	नाम परियोजना	स्वीकृत आं.वा. केन्द्र	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	आ.वा. सहायिका	स्वीकृत मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र
1					
2					

जिले में स्वीकृत नवीन ... आंगनवाड़ी केन्द्र एवं ... मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की नामवार सूची संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की गयी है ।

आवश्यक अर्हताएं :- उक्त पदों पर शासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार ही नियुक्ति प्रकिया अपनायी जावेगी । उक्त पदों हेतु कैलेण्डर वर्ष 1 जनवरी 2009 की स्थिति में आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होना चाहिये । इसके अतिरिक्त आवेदिका को जिस ग्राम एवं वार्ड में आंगनवाड़ी केन्द्र खोला जा रहा है, वहां की स्थायी निवासी होना आवश्यक है । यदि उस वार्ड या ग्राम की मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा है तो अनुविभागीय अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जा सकता है ।

शैक्षणिक योग्यता :- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में 12वी./11वीं बोर्ड एवं आदिवासी क्षेत्रों में 10वीं/12वीं योग्यता के आवेदक उपलब्ध न होने पर न्यूनतम आठवी कक्षा उत्तीर्ण तथा आंगनवाड़ी सहायिका के लिए नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है । उक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु) के लिए शैक्षणिक योग्यता एवं नियुक्ति प्रकिया आंगनवाड़ी सहायिका के समान होगी । विस्तृत जानकारी, मानदेय शर्तें, आवेदन पत्र, अन्य अर्हताऐं संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।

नियुक्ति प्रक्रिया :-

उक्त पदों के लिये निर्धारित चयन प्रक्रिया में आवेदनकर्ता से प्राप्त प्रमाण-पत्रों के आधार पर तैयार मैरिट सूची पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार की जाऐगी। प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रारंभिक छानबीन जनपद स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। प्रारंभिक छानबीन के पश्चात सभी आवेदकों को प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार तुलनात्मक सूची एवं अनन्तिम सूची जारी की जाऐगी। उक्त अनन्तिम

सूची के विरूद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा । तदपश्चात अंतिम सूची जारी की जावेगी। उक्त अंतिम सूची के विरूद्ध 30 दिवस में प्रथम अपील जिला कलेक्टर को तथा कलेक्टर स्तर से निराकरण न होने की दशा में संभागीय आयुक्त को की जा सकेगी।

आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना :–

उक्त आवेदन आमंत्रण की सूचना जिला ..... में स्थित कार्यालय कलेक्टर / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पचायत / जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एव बाल विकास जिला ... / संबंधित तहसील कार्यालयों / जनपद पंचायत कार्यालयों / एकीकृत बाल विकास परियोजना महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय / संबंधित ग्राम पचायत के सूचना पटल पर भी आवलोकन किया जा सकता है । संबंधित आवेदक अपने पूर्ण भरे आवेदन पत्र मय आवश्यक सहपत्रों के संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय स्थित में कार्यालयीन दिवस एवं समय में दिनांक 17.08.2009 (17 अगस्त 2009) तक जमा कराकर निर्धारित प्रारूप में प्राप्ति अभिस्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।

नोट – पूर्व में उक्त पदों हेतु आमंत्रित आवेदनों में जिन अभ्यार्थियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे वे अपने पूर्व के आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे तथा उक्त आवेदन को पुनः बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा कराकर निर्धारित प्रारूप में रसीद प्राप्त कर सकेंगे। पूर्व में जमा किये गये आवेदन स्वमेव मान्य नहीं किये जावेंगे। अतः उक्त अभ्यार्थियों को भी पुनः आवेदन करना होगा।

गीय
सका
के

ण,
ारा
ि।

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ 3–2/2006/50–2 भोपाल, दिनांक 25 फरवरी, 2010

प्रति,

1. आयुक्त/संचालक, महिला एवं बाल विकास भोपाल
2. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश
3. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
4. समस्त संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश
5. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी,मध्यप्रदेश
6. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
7. समस्त परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, मध्यप्रदेश
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश
9. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय :– आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन एवं नियुक्ति निर्देश हेतु ।

उपर्युक्त विषयांतर्गत आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन एवं नियुक्ति निर्देश हेतु विभागीय समसंख्यक निर्देश दिनांक 10.07.2007 की निम्नांकित कण्डिकाओं को केवल एक बार के लिये अस्थायी रुप से निम्नानुसार शिथिल किया जाता है :–

कंडिका अ–1 की उप कंडिका (3) में (1) आंगनवाडी क्षेत्र में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के उम्मीदवार न मिलने पर संबंधित ग्राम की हाई स्कूल उत्तीण महिला का चयन किया जावें। हाईस्कूल उत्तीण महिला उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी ग्राम की आठवीं उत्तीर्ण महिला का चयन किया जावें। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस प्रकार आठवीं पास चयनित आंगनवाडी कार्यकर्ता को दो वर्ष के अन्दर हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । गांव में जैसे ही चयनित आंगनवाडी कार्यकर्ता (मिडिल पास) से अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाली महिला उपलब्ध होती है में उसका विधिवत चयन किया जावेगा। संबंधित पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होगी की वह ग्राम में अधिक शैक्षणिक योग्यता की महिला उपलब्ध होने की जानकारी परियोजना अधिकारी को देगा जो कि अधिक

40 रुप

शैक्षणिक योग्यता वाली महिला के चयन की कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।

<u>कंडिका क्रमांक ब–1</u> उप कंडिका (3) आंगनवाडी सहायिका एवं उप आंगनवाडी कार्यकर्ता की पद पूर्ति हेतु कक्षा पांच पास महिला न मिलने पर प्राथमिकता क्रम में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त महिला अभ्यर्थी का चयन किया जावें, परंतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता साक्षर होना चाहिये । साक्षर महिला न मिलने पर निरक्षर महिला अभ्यर्थी का चयन किया जावें। परंतु महिला उसी ग्राम की होना आवश्यक है। उपरोक्तानुसार शिथिलता केवल निम्न लिखित स्थितियों में ही मान्य होगी :–

1. पूर्व में निर्धारित योग्यता के आधार पर आमंत्रित आवेदन पत्रों में यदि निर्धारित पात्रता के अनुसार कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ हो।
2. आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि उस क्षेत्र में अपेक्षित योग्यता का कोई उम्मीदवार नहीं है।
4. आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका की नियुक्ति आदेश में यह उल्लेख किया जावे कि इस ग्राम से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता मिलने पर उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी ।

आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता में उपरोक्त शिथिलता मात्र एक बार के लिए मान्य होगी ।

(एम0एल0करयाम)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृष्ठा0 कमांक एफ 3–2/2006/50–2 भोपाल, दिनांक 25 फरवरी, 2010

प्रतिलिपि :–

निज सहायक, मा0मंत्री जी महिला एवं बाल विकास, भोपाल ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

34

संचालनालय महिला एवं बाल विकास

खण्ड–2, चतुर्थ तल, पर्यावास भवन भोपाल(म0प्र0)–462 011
फोन: 2550925, फैक्स: 2550912,
Email commwcd@mp.nic.in, Website: www.mpwcd.org

भोपाल,दिनांक 8/10/2010

क्रमांक/आईसीडीएस/2010/ 5510

प्रति,

1 कलेक्टर,
जिला–समस्त,
मध्यप्रदेश.

2 संयुक्त संचालक,
समस्त संभाग,
मध्यप्रदेश.

3 जिला कार्यक्रम अधिकारी/
जिला महिला एवं बाल विकास
जिला–समस्त,
मध्यप्रदेश.

विषय :–आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के चयन एवं नियुक्ति हेतु निर्देश।

....

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चयन एवं नियुक्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के ज्ञापन क्र एफ 3–2/06/50–2/भोपाल दिनांक 10.07.2007 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये है। जिसकी कंडिका क्र–5– में योग्य उम्मीदवारों की सूची में निम्नानुसार लेख किया गया है–

"प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र के लिये एक योग्य उम्मीदवारों की सूची भी तैयार की जावेगी जिसमें उस आंगनवाड़ी केन्द्र में प्राप्त आवेदनपत्रों में से मेरिट के कम में नाम रखे जायेगें। यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का पद रिक्त होता है तो एक सप्ताह के भीतर इसी सूची मे मेरिट कम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की नियुक्ति की जायेगी।"

256

उक्त कंडिका में निम्नानुसार अंश जोड़ा जावे :–

"प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र के लिये योग्य उम्मीदवारों की मेरिट सूची की वैद्यता, सूची जारी होने के दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैद्य रहेगी। इस अवधि में यदि आंगनवाड़ी केन्द्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका का पद रिक्त होता है तो उक्त वैद्य सूची से ही मेरिट कम में पात्रता रखने वाली उम्मीदवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका के पद पर नियुक्ति दी जावे।"

(शासन द्वारा अनुमोदित)

(अनुपम राजन)
संचालक,
महिला एवं बाल विकास विभाग.
भोपाल, दिनांक 8/10/2010

पृ.क्रमांक / मबाविवि / 2010 / 8011
प्रतिलिपि --

1. निज सचिव, माननीय विभागीय मंत्री जी महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय भोपाल। म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.
5. समस्त परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना, म.प्र.
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.
7. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत, म.प्र.

संचालक,
महिला एवं बाल विकास,
मध्यप्रदेश.

संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश

''विजयाराजे वात्सल्य भवन'' 28–ए, अरेरा हिल्स, भोपाल (म0प्र0) – 462 011
फोनः 2550909, फैक्सः 2550912, ई–mail commwcd@mp.nic.in
Website: www.mpwcdmis.org

क्रमांक / एबाविसे / आईसीडीएस / 2015 / 3679 भोपाल, दिनांक 30-07-2015

प्रति,

1. संभागायुक्त, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश ।
2. कलेक्टर, जिला समस्त मध्यप्रदेश ।
3. संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवा, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश ।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, जिला समस्त मध्यप्रदेश ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला समस्त मध्यप्रदेश ।
6. परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना मध्यप्रदेश ।

विषयः आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका के चयन एवं नियुक्ति हेतु चयन समिति के गठन बाबत ।

संदर्भः अवर सचिव, म0प्र0 शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का पत्र क्रमांक 2265 / 1861 / 15 / 50–2, दिनांक 25–07–2015.

कृपया संलग्न सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे । आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / सहायिका नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी आदेशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार ।

(अक्षय श्रीवास्तव)
संयुक्त संचालक,
एकीकृत बाल विकास सेवा, म0प्र0.

पृष्ठां.क्रमांक / एब्राविसे / आई.सी.डी.एस. / 2015 / 3680 भोपाल, दिनांक 30-07-2015

प्रतिलिपि :–

अनुभाग अधिकारी, म0प्र0 शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सन्दर्भित आदेश एवं आपकी नेमी टीप दिनांक 25–07–2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

संयुक्त संचालक,
एकीकृत बाल विकास सेवा, म0प्र0.

D:\Mahendra\2014\Letter 2014.doc

1 |

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक 2265/1861/15/50-2 भोपाल, दिनांक 25/7/2015

प्रति,

1. आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, भोपाल ।
2. संभागायुक्त, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश ।
3. कलेक्टर, जिला समस्त मध्यप्रदेश ।
4. संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवा, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश ।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, जिला समस्त मध्यप्रदेश ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला समस्त मध्यप्रदेश ।
7. परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना मध्यप्रदेश ।

विषयः आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के चयन एवं नियुक्ति हेतु चयन समिति के गठन बाबत ।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के चयन एवं नियुक्ति निर्देश दिनांक 10-07-2007 में चयन समिति एवं आपत्ति निराकरण समिति का प्रावधान किया गया है । चयन समिति में सदस्य के रूप में नगरीय निकाय की स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति के अध्यक्ष को नामांकित किया गया है । परियोजना अधिकारी देवास शहरी द्वारा अपने पत्र 192, दिनांक 10-04-2015 द्वारा अवगत कराया है कि उनके द्वारा आयुक्त नगर पालिका/नगर निगम देवास से स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति के अध्यक्ष का नाम मांगा गया था, जिसके अनुक्रम में आयुक्त नगर पालिका/नगर निगम देवास द्वारा सूचित किया गया है कि शासन के नवीन प्रावधान अनुसार नगर निगम में स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति गठित नहीं है, इस कारण आयुक्त नगर पालिका/नगर निगम देवास द्वारा स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति की अध्यक्ष का नाम नहीं भेजा जा सका ।

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 4-52/2012/18-1, दिनांक 28-02-2014 अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका (मेयर काउन्सिल/प्रेसिडेन्ट इन काउन्सिल) कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य नियम 1998 का नियम 2 (क) अन्तर्गत प्रस्तावित विभागों में स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल विकास विभाग सम्मिलित नहीं है । ऐसी स्थिति में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका चयन समिति का गठन पूर्ण नहीं हो पा रहा है एवं नियुक्तियों में विलम्ब की स्थिति निर्मित हो रही है ।

--2/--

अतः आपके जिले अंतर्गत नगरीय निकायों के सक्षम अधिकारी से आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति में स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति के अध्यक्ष के स्थान पर शासन के नियमों के अनुसार अन्य सदस्य का नामांकन किये जाने हेतु अनुरोध करें एवं नियुक्ति की कार्यवाही अतिशीघ्र पूर्ण करावें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विद्या खण्डेश्वर) 25/7/17

अवर सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश।

क्रमांक/2544/266/2016/50-2 भोपाल, दिनांक 6/2/16

प्रति,

1. आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा, म0प्र0 भोपाल ।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
3. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।
4. समस्त संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश ।
5. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, मध्यप्रदेश ।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश ।
9. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत, मध्यप्रदेश ।

विषयः आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के चयन एवं नियुक्ति हेतु निर्देश ।

संदर्भः मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–2/06/50–2, दिनांक 10–07–2007.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के चयन एवं नियुक्ति हेतु सन्दर्भित ज्ञापन द्वारा निर्देश जारी किये गये थे तथा समय–समय पर इसके संशोधन जारी किये गये है । उक्त संशोधित निर्देशों में से ज्ञापन क्रमांक एफ 3–2/06/50–2, दिनांक 23–07–2009 द्वारा कंडिका अ–2(अ) एवं अ–2(ब) की उपकंडिका 4 में निम्नानुसार संशोधन किया गया था :–

"आंगनवाड़ी केन्द्रों की सहायिका/ मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्ता/ शिशु शिक्षा केन्द्र की दीदियों/ शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित बालवाडियों की शिक्षिका/ पूर्व में शहरी क्षेत्र में संचालित पोषण आहार केन्द्रों पर कार्यरत पोषण आहार संगठिकाओं/ पूर्व में अन्य स्थान पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ आशा कार्यकर्ता । (उक्त लाभ केवल उन्हीं आवेदिकाओं को दिया जावेगा जिन्हें शिकायत के आधार पर हटाया न गया हो) – अधिकतम 10 अंक ।

(प्रथम दो वर्ष के लिये 4 अंक तथा शेष 03 वर्षो के लिये प्रत्येक वर्ष के लिये 2–2 अंक प्रतिवर्ष इस तरह कुल 10 अंक । 02 वर्ष से कम अनुभव के लिये कोई लाभ नहीं दिया जाएेगा)"

स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ता के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में उषा कार्यकर्ता का भी प्रावधान किया गया है । आशा कार्यकर्ता की भांति ही उषा कार्यकर्ता को भी आंगनवाडी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति हेतु अंक प्रावधान में सम्मिलित किया जाकर शासन निर्देश दिनांक 23/07/2009 की संशोधित कडिका अ–2(अ) एवं अ–2(ब) की उपकंडिका 4 में पुनः निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

"आंगनवाडी केन्द्रों की सहायिका / मिनी आंगनवाडी केन्द्रों की कार्यकर्ता / शिशु शिक्षा केन्द्रों की दीदियों / शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित बालवाडियों की शिक्षिका / पूर्व में शहरी क्षेत्र में संचालित पोषण आहार केन्द्रों पर कार्यरत पोषण आहार संगठिकाओं / पूर्व में अन्य स्थान पर कार्यरत आंगनवाडी कार्यकर्ता / आशा कार्यकर्ता / उषा कार्यकर्ता । (उक्त लाभ केवल उन्हीं आवेदिकाओं को दिया जावेगा जिन्हें शिकायत के आधार पर हटाया न गया हो)– अधिकतम 10 अंक ।
(प्रथम दो वर्ष के लिये 4 अंक तथा शेष 03 वर्षो के लिये प्रत्येक वर्ष के लिये 2–2 अंक प्रतिवर्ष इस तरह कुल 10 अंक । 02 वर्ष से कम अनुभव के लिये कोई लाभ नहीं दिया जाऐगा)"

अतः भविष्य में आंगनवाडी कार्यकर्ता के पदों पर उपरोक्त संशोधित निर्देशों के अनुसार नियुक्ति प्रकिया की कार्रवाई की जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रवीन्द्र सिंह)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला बाल विकास विभाग,

पृ.कमांक 145 /266/2016/50–2 भोपाल,दिनांक– 6 /2/2016

प्रतिलिपि :–

(1) प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल ।
(2) मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिसर अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(रवीन्द्र सिंह)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला बाल विकास विभाग,